

पंजाब स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्रीज एस ए 8000 नीति

1. नियोजन स्वतन्त्रता पूर्वक चुना जाता है।

- 1.1 यहाँ पर बंधुआ मजदूरी, जबरन मजदूरी, व अनैच्छिक बंदीग्रह नहीं है।
- 1.2 कामगारों से यह अपेक्षा की जाती है की वे अपने पहचान दस्तावेज अपने नियोजक के पास रखे या सौंप दे कामगार एक युक्तिसंगत नोटिस देने के पश्चात नौकरी छोड़ने के लिए स्वतंत्र है।

2. संघटन की स्वतन्त्रता तथा सामूहिक समझोते के अधिकारी का आदर किया जाता है।

- 2.1 कामगारों को बिना किसी भेदभाव के यह अधिकार है कि वे किसी भी कामगार यूनियन में शामिल हो सके तथा सामूहिक समझोते कर सके।
- 2.2 नियोजक ट्रेड यूनियन के कार्यों तथा ना की संस्थागत गतिविधियों के प्रति सकारात्मक—दृष्टिकोन रखता है।
- 2.3 कर्मकार प्रतिनिधियों को उनके प्रतिनिधित्व संबंधी क्रियायों के निर्वहन के दौरान कार्यस्थल पर पहुँच में या के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
- 2.4 जहाँ पर संघटन की स्वतंत्रता व सामूहिक समझोटों विधि द्वारा प्रतिबंधित है वहाँ नियोजक स्वतन्त्रता व स्वतंत्र संघटन में पूर्णतया मदद करेगा तथा इनमें कोई रुकावट नहीं डालेगा।

3. कार्य दशाएँ सुरक्षित व स्वास्थ्यकर होती हैं।

- 3.1 उद्योग या अभिभावी ज्ञान व सुनिश्चित खतरों को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षित व स्वास्थ्यकर वातावरण प्रदान किया जायगा। स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न हुई दुर्घटनाओं व क्षतियों को रोकने के लिए तथा खतरों के कारण जो कार्य वातवरण में व्यस्त है यथा संभव काम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।
- 3.2 कर्मकार लगातार तथा रिकॉर्ड की गई स्वास्थ्य व सुरक्षा ट्रेनिंग लेंगे तथा इस प्रकार की ट्रेनिंग नए आने वाले कर्मचारी को भी दी जाएगी।
- 3.3 स्वच्छ शौचालय तथा पीने योग्य पानी कामगारों की पहुँच में होना चाहिए यदि उपयुक्त हो जो उचित साफ सफाई तथा भोजन संरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- 3.4 जहाँ आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं वे भी साफ सुथरी व सुरक्षित आधार मूल आवश्यकताओं से सुरक्षित रहेंगी। कंपनी जो अवलोकन कर रही है वह स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की जिम्मेदारी वारिस्थ प्रतिनिधि को सौंपी जाएगी।

4. बाल श्रम का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

- 4.1 किसी भी बाल श्रमिक की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
- 4.2 कंपनी उन नीतियों तथा आयोजनों में भाग लेगी तथा जो नीतियों तथा आयोजन उन बच्चों की स्थिति परिवर्तन के लिए बनाए गए हैं।
- 4.3 बालक व युवा जो 18 वर्ष से नीचे हैं वे रात व किसी खरतनाक कार्यों में नियोजित नहीं किए जाएंगे।
- 4.4 ये नीतियाँ तथा तरीके अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के परसंगत मानकों से अनुमोदित होंगे।

5. जीवन निर्वाह मजदूरी दी जाती है।

- 5.1 एक मानक सप्ताह के लिए दी जानी वाली मजदूरी व भत्ते राष्ट्रीय विधिक मानकों या औद्योगिक निश्चित मानकों इनमें से जो भी उचित हो के अनुरूप होंगे किसी भी परिस्थिति में मजदूरों को मूलभूत आवश्यकता तथा विवेकाधीन आय प्रदान करने वाला होना चाहिए।
- 5.2 सभी कामगारों उनके नियोजन में आने से पहले उनके काम के शर्तों के बारे में जिनमें वेतन तथा वाटन आदि के विषय शामिल हैं लिखित समझ में आने योग्य सूचना दी जाएगी।
- 5.3 अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में मजदूरी से कटौती तथा जो विधि उपबंधित नहीं है। वे सभी कटौती तब तक मान्य नहीं है जब तक की इनकी प्रत्यक्ष अनुभवी संबंधित कर्मचारी से ली गई हो। सभी अनुशासनात्मक कार्यवाहियान रिकॉर्ड की जायेगी।

6. कार्य के घंटे अधिक न हो।

- 6.1 कार्य के घंटे राष्ट्रीय विधि या औद्योगिक निश्चित मानकों जो भी अधिक उत्पादक हो अनुसार होना चाहिए।
- 6.2 किसी भी परिस्थिति में किसी भी कामगार द्वारा सप्ताह में कुल 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं किया जायेगा हर साल दिन के अवधि में कर्मचारियों को कम से कम एक दिन का अवकाश दिया जायेगा।
- 6.3 ओवरटाइम कार्य स्पेच्छिक होगा तथा ओवरटाइम को कानूनी रूप से निश्चित दर पर भत्ता दिया जायेगा।

7. भेदभाव नहीं किया जायेगा।

- 7.1 नौकरी लेते समय रोजगार की प्रथाओं में अर्थात् वेतन, पदोन्नति, अनुशासन बर्खास्तगी या सेवानिवृत्ति के मामले में, जाति, धर्म आयु, राष्ट्रीयता, सामाजिक या सजातीय कुल योग अव्यवस्थित लिंग, राजनीति विचार या आवश्यकता के आधार पर निर्माता कोई भेदभाव नहीं करेगा।

8. नियमित रोजगार प्रदान किया जायेगा।

- 8.1 जहाँ तक सम्भव हो जो भी कार्य किया जाएगा व अन्य रोजगार सम्बंधों जो राष्ट्रीय विधि व प्रयासों द्वारा स्थापित हुये हैं पर आधारित होगा।
- 8.2 कर्मकारों के ये सभी आधार जो श्रम व अन्य सामाजिक विधियों व विनियमों जो नियमित रोजगार सम्बंधों से उत्पन्न हुये हैं तथा यहाँ पर कोई ऐसा सकल्पित तरीका नहीं है किसी प्रतिभा को मापा जा सके और नियम रोजगार प्रदान किया जा सके को टेकेदार, उप टेकेदार तथा घर पर काम की व्यवस्थाओं को करने की प्रक्रीशु प्रणाली के द्वारा अनदेखे नहीं किए जा सकेंगे तथा इसी तरह का कोई भी आधार अविधिवत करारों के द्वारा अनदेखा नहीं किया जायेगा।

9. उत्पीड़न व अमानवीय व्यवहार मान्य नहीं है।

- 9.1 शारीरिक दुर्व्यवहार तथा अभित्रासा प्रक्रिया शारीरिक दुर्व्यवहार की धमकी वैहिक या अन्य तरह का उत्पीड़न तथा मौखिक दुर्व्यवहार तथा अभित्रास या डाट डपट के अन्य तरीके पूर्ण निषेध है।
- 9.2 इस संहिता के अंतर्गत जो उपबांध बनाए गए हैं सभी न्यूनतम मानकों पर आधिरित है। इस संहिता को कंपनी इन मानकों से उच्च उठने से रोकने के लिए प्रयोग नहीं किए जाना चाहिए जो कंपनी इस संहिता को लागू कर रही है उनसे अपेक्षा भी की जाती है की वे राष्ट्रीय तथा अन्य लागू विधियों का भी अनुपालन करे जहाँ कोई विधि इस संहिता उपबंध एक ह्ये विषय लागू करने को कहे तो वे लागू होगी जो अधिकाधिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो।